



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या की घटना के अभियुक्त को **आजीवन कारावास** व 85,000 रु० के अर्थ दंड की सजा दिलवाई गई।,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत अ०सं०-08/2020, धारा-302/201/364 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा० न्यायालय EC-ACT जनपद हमीरपुर** द्वारा अभियुक्त **राम प्रकाश पुत्र बृजमोहन** निवासी ग्राम चण्डौत थाना जरिया जनपद हमीरपुर को **आजीवन कारावास व 85,000 रु० के अर्थ दण्ड से दण्डित** किया गया।



एडीजीसी
रामबाबू अवस्थी



विवेचक- निरी०
विक्रमजीत सिंह



पैरोकार जरिया
का० संतोष यादव